15

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 166 / 2008

दायर दिनांक–15–09–2008

1. भागीरथी देवी पुत्री चेताराम पत्नी सुखदेवा राम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। (फौत)

1/1 सुरेन्द्रा देवी पुत्री भागीरथी देवी जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/2 विरेन्द्र देवी उर्फ प्रभाती देवी पुत्री भागीरथी देवी जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/3 प्रतिदेवी पुत्री भागीरथी देवी जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/4 श्रवण कुमार पुत्र भागीरथी देवी जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/5 कमला देवी पुत्री भागीरथी देवी जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/6 रामकिशोर पुत्र भागीरथी देवी जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/7 सुखदेव सिंह पुत्र बल्लूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2. गीता देवी पुत्री चेताराम पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा हाल ग्राम बिडोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

– वादीगण

बनाम

1. चेताराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. अमरचन्द दत्तक पुत्र चेताराम जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3. जोधाराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। (फौत)।

3/1 माली देवी पत्नी जोधाराम जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

3/2 माडूराम पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

3/3 द्वारका पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

3/4 कमला पुत्री जोधाराम जाति मेघवाल निवासी चौढाणी पोस्ट परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

4. बीरबल पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5. गोरूराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

6. सेठराम पुत्र नारूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
7. कपित पुत्र नारूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
8. मनोहरी पत्नी हीरा जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
9. विनोद पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
10. रोहिताश पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
11. महेन्द्र पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
12. बनवारी पुत्र माला जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
13. मांगू पुत्र माला (फौत)

13/1 नागरमल पुत्र मांगूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

13/2 श्रवण पुत्र मांगू राम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

13/3 प्रकाश पुत्र मांगू राम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

13/4 पप्पू पुत्र मांगूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

13/5 नाथी देवी पत्नी मांगूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

14. दुर्गा पुत्र लादू जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
15. बना पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
16. सोहन पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
17. हरनाथ पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
18. परमेश्वर पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
19. बिडदा पुत्र रामू जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
20. घासी पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
21. रेखाराम पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
22. दयानन्द पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

17

23. पीथाराम पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झनूं।
24. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नवलगढ
25. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : — **श्री अशोक कुमार जांगिड**
वकील प्रति॰ नं॰ :—

<u>दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अ॰धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनांक— 06—09—2021

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :— वादिनी नम्बर 1 व 2 प्रतिवादी नम्बर 1 की जायन्दा पुत्रियां है इनके कोई जायन्दा भाई नहीं है, प्रतिवादी नम्बर 02 को उनके पिता ने गोद ले रखा है, इस प्रकार वादिनीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 1 के वारिसान है,प्रतिवादी नम्बर 3 जोधाराम वादिनीगण के पिता का छोटा भाई है व वादिनीगण का चाचा लगता हैं।

ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा में भूमि खसरा नम्बर पुराना 875 रकबा 1 बीघा 6 विश्वा, खसरा नम्बर 877 रकबा 11 बीघा 12 विश्वा स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 92 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 1.68 हैक्टर सम्पूर्ण तथा भूमि खसरा नम्बर नया 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.25, 0.24, 0.56 हैक्टर कुल 2.37 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका 1/4 हिस्सा स्व॰ हनुमान पुत्र नोन्दा जाति चमार निवासी परसरामपुरा द्वारा छोडी गई पैतृक भूमि है। स्व॰ हनुमान की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादिनीगण के पिता व चाचा प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 के नाम दर्ज हो गई, जो आज तक दर्जशुदा चली आ रही है, नकल जमाबन्दी सम्बत् 2012 से 2063 नकल मिलान क्षैत्रफल दावे के साथ प्रस्तुत है।

वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा की तन में भूमि खसरा नम्बर पुराना 875 रकबा 1 बीघा 6 विश्वा, खसरा नम्बर 877 रकबा 11 बीघा 12 विश्वा स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 92 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 3.27 हैक्टर और यह भूमि वादिनीगण के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 तथ वादिनीगण के चाचा प्रतिवादी नम्बर 3 जोधाराम की खातेदारी में दर्जशुदा चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि कदीमी काश्त व कब्जा शूद है, जो वादिनीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की पैत्रिक भूमि है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादिनीगण के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 का है तथा 1/2 हिस्सा वादिनीगण के चाचा प्रतिवादी नम्बर 3 का है, प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/2 हिस्से में से वादिनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा हैं।

वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा की तन में एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.25, 0.24, 0.56 हैक्टर कुल 2.37 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिनीगण के पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/4 हिस्सा दर्जशुदा है। उपरोक्त भूमि कदीमी काश्त व कब्जाशुदा है, जो पैत्रिक भूमि है, शेष 3/4 भूमि प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 23 की है, उक्त [illegible] नम्बर 1 का 1/8 हिस्सा है।

प्रतिवादी नम्बर 1 वादिनीगण का पिता है और उसने [illegible] र 2 को गोद ले रख है और वह प्रतिवादी नम्बर 2 के बहकावे में आ गया है और [illegible] पैरा नम्बर 3 में दर्ज है, के 1/2 हिस्से को व पैर नम्बर 4 में दर्ज 1/8 हिस्से [illegible] करने को आमादा है और इस बाबत लोगो से बातचीत भी शुरू कर दी है। यह सारी कार्यवाही प्रतिवादी [illegible] बर 1, प्रतिवादी नम्बर 2 के बहकावे में आकर कर रहा है, कानूनन पैरा नम्बर 3 में दर्ज 1/2 हिस्से में प्रतिवादी नम्बर 1 का केवल मात्र 1/8 हिस्सा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

18

क्योंकि उक्त भूमि में वादिनीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 का भी हक हिस्सा है। इस प्रकार उपरोक्त पैरा नम्बर 3 में दर्ज भूमि में वादिनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा इसी प्रकार पैरा नम्बर 4 में दर्ज भूमि का 1/8 हिस्सा है तथा इसी प्रकार पैरा नम्बर 4 में दर्ज भूमि का 1/8 हिस्से में प्रत्येक का 1/32 हिस्सा है, जिसको नाजायज व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 विक्रय व खुर्द–बुर्द करना चाहता है, जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नहीं है, प्रतिवादी नम्बर 1 की इस गैर कानूनी हरकत के कारण यह दावा बाबत इश्तकरार हक का पेश करना आवश्यक हो गया हैं।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 के नाम उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसमें पैरा नम्बर 3 में दर्ज भूमि का 1/2 हिस्सा तथा पैरा नम्बर 4 में 1/8 हिस्सा दर्जशुदा है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त भूमि को विक्रय करने को आमादा है, जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है, हालांकि इस गलत राजस्व रिकार्ड से वादिनीगण के हक अधिकारो पर कोई फर्क नहीं पडता है, लेकिन विक्रय करने पर अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी, ऐसी हालत में वादिनीगण के लिये यह दावा बाबत घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ है, बंटवारे के अनुसार इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पैरा नम्बर 3 के अनुसार वादिनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक 1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा पैरा नम्बर 4 में दर्ज भूमि में वादिनीगण नम्बर 1 व 2 व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/32 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत होगा तथा इसी अनुसार खातेदारी की घोषणा की जावे तथा इसी अनुसार वादिनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे, ताकि वादिनीगण के हक हिस्से की सुरक्षा हो सके, प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने हक हिस्से की भूमि से अधिक भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 इस गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादिनीगण प्रत्येक के उपरोक्त अनुसार 1/18 हिस्सा व 1/32 हिस्से को नाजायज रूप से विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादिनीगण को दिनांक 20.8.2008 को धमकी दी है कि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम दर्ज है, हम पूरी जमीन को विक्रय कर देगें तथा आपको काश्त भी नहीं करने देगें, ग्राहक लगते ही सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देगें, यदि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उनकी इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो वादिनीगण की जमीन डेमेज व वेस्ट हो जावेगी तथा वादिनीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा व वादिनीगण के उपरोक्त अनुसार हिस्सा से वंचित हो जावेगी। जिससे वादिनीगण को अपार क्षति होगी, जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से अंसभव होगा, ऐसी हालात में वादिनीगण के लिये यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया है।

बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण जब वादिनीगण प्रत्येक के हिस्से 1/8, 1/32 प्रत्येक का गलत व नाजायज रूप से विक्रय करने की धमकी दिनांक 20.08.2008 को दी बमुकाम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा पैदा हुआ और अदालत बाला को हक समायत हासिल है।

दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड, स्थाई निषेधाज्ञा का होने से उस पर निश्चित कोर्ट फीस 6/– रूपये की पेश हैं।

वादियागण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम खेसवा की ढाणी में वादिनीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/8 हिस्से का व भूमि खसरा नम्बर नया 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.25, 0.24, 0.56 हैक्टर कुल 2.37 हैक्टर में वादिनीगण नम्बर 1 व 2 तथा प्रतिवादी [illegible] 2 का प्रत्येक का 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में [illegible] का आदेश प्रदान करें।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस [illegible] की फरमाई जो कि प्रतिवादीगण भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 1.68 हैक्टर में वादिनीगण नम्बर 1 व 2 का 1/8, 1/8 हिस्से के व भूमि खसरा नम्बर 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.25, 0.24, 0.56 हैक्टर कुल 2.37 हैक्टर में वादिनीगण नम्बर 1 व 2 का 1/32, 1/32 हिस्से कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल न

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:48:20 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

15

डाले तथा विवादित भूमि में उपरोक्त अनुसार वादिनीगण के हिस्से की भूमि का विक्रय–पत्र न तो स्वयं करे तथा न अपने किसी प्रतिनिधि नौकर–चाकर आदि से करावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य ने अपना वकालतनामा पेश किया। बार–बार आवसर एवं कोस्ट पर अवसर प्रदान करने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नही करने पर इनका जवाब दावा बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के इनकी ओर से कोई हाजिर अदालत नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही एवं जवाब दावा बंद होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नही किये जा सकते। विवाद्यक कायम करने की आवश्यकता भी नही रह जाती है। प्ररकण में शहादत ली गई। शहादत वादी में वादिया गीता देवी पुत्र चेताराम पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी एंव गवाहान् सुखदेव सिंह पुत्र श्री बल्लूराम जाति मेघवाल निवासी खेसवा की ढाणी, प्रीति देवी वादीया नम्बर 1/3 पुत्री भागीरथी देवी जाति मेंघवाल, विरेन्द्रा उर्फ प्रभाती देवी वादिया नम्बर 1/2 जाति मेंधवाल निवासी खेसवा की ढाणी उपस्थित न्यायालय होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये तथा वादियागण द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–2024, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028, प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी 2056 से 2062, प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066, प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

शहादत पेश होने के पश्चात बहस वकील एक पक्षीय वकील वादी सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोनक से यह स्पष्ट है कि वादिनी नम्बर 1 व 2 प्रतिवादी नम्बर 1 की जायन्दा पुत्रियां है इनके कोई जायन्दा भाई नहीं है, प्रतिवादी नम्बर 02 को उनके पिता ने गोद ले रखा है, इस प्रकार वादिनीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 1 के वारिसान है, प्रतिवादी नम्बर 3 जोधाराम वादिनीगण के पिता का छोटा भाई है व वादिनीगण का चाचा लगता हैं।

ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा में भूमि खसरा नम्बर पुराना 875 रकबा 1 बीघा 6 विश्वा, खसरा नम्बर 877 रकबा 11 बीघा 12 विश्वा स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 92 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 1.68 हैक्टर सम्पूर्ण तथा भूमि खसरा नम्बर नया 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.25, 0.24, 0.56 हैक्टर कुल 2.37 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका 1/4 हिस्सा स्व॰ हनुमान पुत्र नोन्दा जाति चमार निवासी परसरामपुरा द्वारा छोडी गई पैतृक भूमि है। स्व॰ हनुमान की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादिनीगण के पिता व चाचा प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 के नाम दर्ज हो गई, जो आज तक दर्जशुदा चली आ रही है, प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी सम्बत् 2012 से 2063 तथा प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षैत्रफल, से प्रमाणित है।

वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा की तन में भूमि खसरा नम्बर पुराना 875 रकबा 1 बीघा 6 विश्वा, खसरा नम्बर 877 रकबा 11 बीघा 12 विश्वा स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 92 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 3.27 हैक्टर और यह भूमि वादिनीगण के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 तथ वादिनीगा के चाचा प्रतिवादी नम्बर 3 जोधाराम की खातेदारी में दर्जशुदा चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि कदीमी काश्त व कब्जा शूदा है, जो प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–2024, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028, प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी 2056 से 2062, प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066, प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 से वादिनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की पैत्रिक भूमि है, प्रमाणित होती है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादिनीगण के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 का है तथा 1/2 हिस्सा वादिनीगा के चाचा प्रतिवादी नम्बर 3 का है, प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/2 हिस्से में से वादिनीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:20 IST
Reason: Self-Attested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा हैं। वाद वादियागण पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजी से प्रमाणित होता है। परन्तु दौराने वाद पत्र प्रतिवादी नम्बर 01 का स्वर्गवास हो चूका है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 के वारीसान में वादिनी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 जायज वारिसान है जो आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत रिकार्ड पर लिये जाकर पक्षकार के रू॰ में संयोजित है। इसी प्रकार वादिया संख्या 1 भी दौराने वाद पत्र फौत हो चुकी है जिसके वारिसान भी वाद–पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित हो चुके है। इसलिए उक्त प्रतिवादी संख्या 1 चेतराम व वादी के संख्या 1 के हिस्से की पैतृक भूमि उनके जायज वारिसान में बराबर–बराबर विभक्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादियागण प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादियागण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादियागण उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है। अतः विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेसवा की ढ़ाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 92, 93 रकबा क्रमशः 1.59, 1.68 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.27 हैक्टर में वादिया संख्या 1 के वारिसान 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा 1/6, वादिया संख्या 2 को हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी नम्बर 03 का हिस्सा 1/2 हक हिस्से की है जो यथावत रहेगी।

भूमि खसरा नम्बर 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.45, 0.24, 0.56 कुल किता 05 कुल रकबा 2.37 हैक्टर में वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा 1/32 तथा वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/32 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/32 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयन्ती कंवर)
सहाकय कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

एस.डी.एम.(फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

21

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड,
व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद डिक्री

मुकदमा सं0:– 166 / 2008 **(भागीरथी आदि बनाम चेताराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.09.2021 निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम खेसवा की ढ़ाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 92, 93 रकबा क्रमशः 1.59, 1.68 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.27 हैक्टर में वादिया संख्या 1 के वारिसान 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा 1/6, वादिया संख्या 2 को हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी नम्बर 03 का हिस्सा 1/2 हक हिस्से की है जो यथावत रहेगी।

भूमि खसरा नम्बर 801, 802, 803, 804, 806 रकबा क्रमशः 1.29, 0.03, 0.45, 0.24, 0.56 कुल किता 05 कुल रकबा 2.37 हैक्टर में वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/7 का हिस्सा 1/32 तथा वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/32 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/32 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे।तहसीलदार नवलगढ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.09.2021 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested